

प्रेषक,

विवेक कुमार उपाध्याय,
उप निदेशक,
राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ
सचिवालय देहरादून।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड पौडी

ग्राम्य विकास विभाग राज्य डी.आर.डी.ए. सेल): देहरादून: दिनांक: 10 जनवरी 2019।

विषय— Nomination of Non-official Members to the State/District level DISHA Committee-Reg महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या Q-13016/02/2018-DISHA दिनांक 16.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें राज्य और जिला पर दिशा समितियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4 (चार) गैर-आधिकारिक सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है। गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए राज्य/जिले के सामाजिक, शैक्षिक और सार्वजनिक क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्तियों जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते होंगे का नाम निर्धारित प्रारूप (राज्य स्तरीय समिति के लिए प्रारूप क व जिला स्तरीय समिति के लिए प्रारूप ख) पर उपलब्ध कराये जाने है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि पात्र व्यक्ति का नाम निर्धारित प्रारूप (राज्य स्तरीय समिति के लिए प्रारूप क व जिला स्तरीय समिति के लिए प्रारूप ख) पर प्राप्त करने हेतु भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के उक्त पत्र को ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विवेक कुमार उपाध्याय)

उप निदेशक

राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ
सचिवालय देहरादून।

324/2018/21/18

Q-13016/02/2018-DISHA
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Monitoring Division-DISHA)

Room No. 607, Block-11
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 16th July, 2018

v. Anup
So-2
रु आर
16/7/18
(सहायक सचिव)

To
The Principal Secretary
Department of Rural Development (All States/UTs)

Subject: Nomination of Non-official Members to the State/District Level DISHA Committee-reg

Sir,

The undersigned is directed to State that the DISHA Guidelines provided for nomination of four non-official members by Ministry of Rural Development in both State/District Level DISHA committee. Accordingly, Ministry has sought Expression of interest from individuals through advertisement posted on website of the Ministry (<https://rural.nic.in/>) from interested person for nomination as non-official members (copy enclosed).

2. It is requested to direct concerned officers for posting the advertisement on the website of Department of Rural Development of your State for wider publicity.

Yours faithfully

Shekhar
(S.S. Prasad)

Under Secretary to the Government of India
Tel: 24368626

N.O.(IC)
21/7/18
DD/DRDA
Br. H.A.
(विशेष सिंह सक्सेना)
अनुमान अधिकारी
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।
Encl: a/a

Secy (RD)

AS. RD
2264
W

3916/AS/11.0.18
USCRD
J
19.7.18

h
(मनीषा पंचार)
प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।
18


(डॉ. पं. 18/7/18 पण्डेय)
सचिव (सि.)
ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन

(कैलाश चन्द्र रेवाणन)
प्रिजी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Application for nomination of Non-Officials to State Level DISHA Committees

In pursuant with para 10.1 of the State Level Committee guidelines the willingness on behalf of the eminent individual is solicited for nomination of non- official members to State Level DISHA Committee. Format on which information is to be furnished provided is provided below:

1. Full Name of the Eminent person:
2. Gender :
3. Date of Birth:
4. Category (SC/ST/OBC/Others):
5. Address for communication:
6. Name of the State/UT where the applicant resides:
7. Name of the State/UT committee for which nomination sought:
8. Academic Qualification:
9. Areas of specialization:
10. Field of Experience :



(A one page note on experience in the field of social/academics/ public fields/ civil society organization need to be submitted along with the application)

11. Whether has been a Member of erstwhile State /District Level Vigilance & Monitoring committee/DISHA committee/ any other committee of the Central Government earlier? If so, give details.

It is certified that the information given above is TRUE to the best of my knowledge. I will be liable for any information given above which is later found to be FALSE.

Date:

Signature

FORMAT B

Application for nomination of Non-Officials to District Level DISHA Committees

1. Full Name of Eminent person:
2. Gender :
3. Date of Birth:
4. Category (SC/ST/OBC/Others):
5. Address for communication:

Affix passport size
photograph
(Self attested)

6. Name of the District where the applicant resides:
7. Name of the District committee for which nomination sought:
8. Academic Qualification:
9. Areas of specialization:
10. Field of Experience :

**(A one page note on experience in the field of social/academics/ public fields/
civil society organization need to be submitted along with the application)**

11. Whether has been a Member of erstwhile State /District Level Vigilance & Monitoring committee/DISHA committee/ any other committee of the Central Government earlier? If so, give details.

It is certified that the information given above is TRUE to the best of my knowledge. I will be liable for any information given above which is later found to be FALSE.

Date:

Signature

राज्य स्तरीय दिशा समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

राज्य स्तरीय समिति दिशा-निर्देशों के पैरा 10.1 के अनुसरण, राज्य स्तरीय दिशा समिति के गैर-सरकारी सदस्य के नामांकनके लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति की सहमति मंगवाई जाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली अनुवीक्षण समिति में विचार किए जाने के लिए नीचे दिए गए प्रारूप में सूचना मंगवाई जाती है। राज्य स्तरीय दिशा दिशा समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन में अनुवीक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा।

सूचना भरने के लिए प्रारूप

1. प्रतिष्ठित व्यक्ति का पूरा नाम :
2. लिंग :
3. जन्म तिथि :
4. श्रेणी (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अन्य):
5. पत्राचार का पता :
6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जहां पर आवेदक रहता है :
7. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समिति का नाम जिसके लिए नामांकन मांगा गया है:
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. विशेषज्ञता का क्षेत्र :
10. अनुभव का क्षेत्र :

स्व-हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज
फोटो लगाएं

(सामाजिक/शैक्षणिक/सार्वजनिक क्षेत्र/सिविल सोसायटी संगठन के क्षेत्र में अनुभव से संबंधित एक पृष्ठ की टिप्पणी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है)

11. क्या पहले, पूर्ववर्ती राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति/दिशा समिति/या राज्य/केंद्र सरकार सरकार की अन्य किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समिति के सदस्य रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं ऊपर दी गई जानकारी को बाद में गलत पाए जाने पर उत्तरदायी होंगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

कमरा संख्या 607, ब्लॉक - 11, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दिनांक: 13-07-2018

विषय: जिला स्तरीय दिशा समितियों में गैर-आधिकारिक सदस्यों का नामांकन

केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य और जिला स्तर पर दिशा समितियों का गठन किया गया है। दिशा समिति की मार्गदर्शिका में राज्य और जिला स्तरीय दिशा समितियाँ दोनों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4 (चार) गैर-आधिकारिक सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है। दिशा समिति की मार्गदर्शिका जिसमें समिति की संरचना, विचारार्थ विषय, गैर-आधिकारिक सदस्य हेतु पात्रता इत्यादि मंत्रालय की वेबसाइट (<https://rural.nic.in/disha>) पर उपलब्ध है।

गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए राज्य / जिले के सामाजिक, शैक्षिक और सार्वजनिक क्षेत्रों से सम्बंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जोकि राज्य/ जिले के सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते होंसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक प्रकृति की है और नामित सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए दिशानिर्देशों में उल्लिखित टीए / डीए और दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति अपनी उपलब्धता (राज्य स्तरीय समिति के लिए प्रारूप क व जिला स्तरीय समिति के लिए प्रारूप ख) ईमेल या पोस्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में 30 जुलाई, 2018 को या उससे पहले निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

श्री एस एस प्रसाद
अवर सचिव (निगरानी)
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कक्षा संख्या 607, ब्लॉक संख्या 11
C.G.O. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003
ई-मेल: [ss\[dot\]prasad\[dot\]dord\[at\]nic\[dot\]in](mailto:ss[dot]prasad[dot]dord[at]nic[dot]in)

हस्ता / -
(एसएस प्रसाद)
भारत सरकार के अवर सचिव

जिला स्तरीय दिशा समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

के नामांकन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति की सहमति मंगवाई जाती है। मुख्य अधिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली अनुवीक्षण समिति में विचार किए जाने के लिए नीचे दिए गए प्रारूप में सूचना मंगवाई जाती है। जिला स्तरीय दिशा दिशा समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन में अनुवीक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा।

सूचना भरने के लिए प्रारूप

1. प्रतिष्ठित व्यक्ति का पूरा नाम :
2. लिंग :
3. जन्म तिथि :
4. श्रेणी (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अन्य):
5. पत्राचार का पता :
6. जिले का नाम जहां पर आवेदक रहता है :
7. जिला समिति का नाम जिसके लिए नामांकन मांगा गया है:
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. विशेषज्ञता का क्षेत्र :
10. अनुभव का क्षेत्र :

स्व-हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज
फोटो लगाएं

(सामाजिक/शैक्षणिक/सार्वजनिक क्षेत्र/सिविल सोसायटी संगठन के क्षेत्र में अनुभव से संबंधित एक पृष्ठ की टिप्पणी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है)

11. क्या पहले, पूर्ववर्ती राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति/दिशा समिति/या राज्य/केंद्र सरकार सरकार की अन्य किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समिति के सदस्य रहे हैं।

प्रमणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी सही जानकारी के अनुसार सही है। मैं ऊपर दी गई जानकारी को बाद में गलत पाए जाने पर उत्तरदायी होऊंगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर